संख्या-33/2018/3150/22-2-2017-17(312)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जनवरी, 2018***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हबीब पुत्र श्री अब्दुल लतीफ निवासी जनपद-बदायूँ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43077/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-04.12.2017 दिनांक-04.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हबीब पुत्र श्री अब्दुल लतीफ, जो ग्राम बजरिया, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। दिनांक 24-01-1991 को रात्रि 08:00 बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विपक्षी महिपाल के पुत्र तथा पुत्री की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-52/1991 में भा0द0वि0 की धारा-396, 412 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), बदायूँ के आदेश दिनांक 03.09.1994 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.1995 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.07.2017 तक 21 वर्ष 07 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 00 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में कोई अभिमत नहीं दिया गया। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 24-01-1991 को रात्रि 08:00 बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विपक्षी महिपाल के पुत्र तथा पुत्री की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाणी के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी की आयु, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हबीब पुत्र श्री अब्दुल लतीफ को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-6047(एम0बी0)/2017 हबीब बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य से आच्छादित है। अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी हबीब (बन्दी संख्या-14326) पुत्र श्री अब्दुल लतीफ निवासी जनपद-बदायूँ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2018/3150/(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in